बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन,दारोगा राय पथ,आर०ब्लॉक रोड नं०-2,पटना-800001

पत्रांकः-02:15:17(अधि०)/2017-12723 दिनांक- 15/12/17

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति),
मुख्यालय,पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान/चावल एवं मोटे आनाजों के विनिर्दिष्टियों में धान हेतु अंकित अधिकतम नमी की मात्रा 17% से बढ़ाकर 31.01.2018 तक 19% तक करने के संबंध में।**

प्रसंगः- **सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण बिहार, पटना का पत्रांक 6371 दिनांक 14.12.2017**

महाशय,

उपर्युक्त बिषयान्तर्गत कहना है कि प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति सभी अनुलग्नक के साथ संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के स्तर से निर्धारित उपर्युक्त विनिर्दिष्टियाँ, जिसमें धान की नमी की मात्रा 17% निर्धारित की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 31.01.2018 तक धान में निर्धारित नमी की मात्रा 17% से बढ़ाकर 19% किए जाने का कंडिकावार निम्नलिखित सशर्त निर्णय लिया गया है।

"The Limit of moisture content in paddy grain may be allowed upto 19% against the existing limit of 17% with full value cut upto 31.01.2018 as One time exception"

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रासंगिक पत्र में उपरांकित शर्त के अतिरिक्त अन्य सुसंगत शर्तो के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए किसानों के बीच नमी की मात्रा में उपर्युक्त छुट के संदर्भ में संशोधित दिशानिदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की कृपया की जाय।

अनु०-यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

उप महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांक- 12723 दिनांकः- 15/12/17

प्रतिलिपिः-सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांक- 12723 दिनांकः- 15/12/17

प्रतिलिपिः-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक 6371 दिनांक 14.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

उप महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र010ख0वि0अधि0–06 / 2017 6371 खाद्य पटना / दिनांक– 14.12.2017

प्रेषक

चन्द्रशेखर भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में

प्रधान सचिव
सहकारिता विभाग
बिहार, पटना ।
महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति,
बिहार राज्य खाद्य निगम,
खाद्य भवन, पटना ।

विषय -- खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में धान / चावल एवं मोटे अनाजों के विनिर्दिष्टियों में धान हेतु अंकित अधिक्तम नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से बढाकर 31.01.2018 तक 19 प्रतिशत तक करने के संबंध में।

प्रसंग - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार का पत्र संख्या–8-6/2017-S&I दिनाक– 14 12 2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रसागिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या– 8-6/2017-S&I दिनाक– 25.05.2017 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2017–18 हेतु धान / चावल एवं मोटे अनाजों के एक समान विनिर्दिष्टियों निर्धारित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया था (छायाप्रति संलग्न)। खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में भारत सरकार के स्तर से निर्धारित उपर्युक्त विनिर्दिष्टियों जिसमें धान की नमी की मात्रा 17 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी, के आधार पर राज्य के किसानो से धान अधिप्राप्ति किये जाने के क्रम में कठिनाई उत्पन्न होने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त विनिर्दिष्टियों में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक– 31.01.2018 तक धान मे निर्धारित नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत किये जाने का कंडिकावार उल्लिखित सशर्त्त निर्णय लिया गया है ।

अतः भारत सरकार से प्राप्त प्रसांगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2017–18 हेतु धान में निर्धारित उपर्युक्त नमी की मात्रा के लिए किये गये सशर्त्त आंशिक संशोधन के आलोक में समुचित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश शीघ्र धान अधिप्राप्ति केन्द्रो को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । साथ ही किसानों के वीच व्यापक प्रचार–प्रसार करने की कृपा की जाय ।

अनु0– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
14/XII
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र010ख0वि0अधि0–06 / 2017 - 6371 खाद्य, पटना / दिनांक– 14.12.17
प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/XII
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र010ख0वि0अधि0–06 / 2017 6371 खाद्य, पटना / दिनांक– 14.12.17
प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता सरक्षण विभाग के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

14/XII/XVII
सरकार के अपर सचिव।

D:\backup\Section.10 All Document Section 10\2015 KMS 2015-16.doc

Scanned by CamScanner

Fax No. 0612-2239760

190

No. 8-6/2017-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food and Public Distribution
***

Krishi Bhawan, New Delhi,
Dated the 14th December, 2017

To
The Secretary,
Department of Food and Consumer Protection,
Govt. of Bihar, Old Secretariat, Patna,
Bihar - 800 015.

Subject: **Relaxation in Uniform Specifications of Paddy for Kharif crop (Kharif Marketing Season 2017-18) in Bihar - regarding.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. प.10/ख.वि.अधि/06/2017/4288 dt. 24.08.2017 and प.10/ख.वि.अधि/06/2017/6317 dated 12.12.2017, seeking relaxation in specification of Paddy for Kharif Marketing Season 2017-18 in respect of Bihar.

2. In order to reduce hardship of farmers and to scale up the paddy procurement in Bihar under 'Eastern India Procurement Enhancement Policy', it has been decided to procure paddy in the State of Bihar with the following relaxations to ensure MSP to farmers and to avoid distress sale for KMS 2017-18

The limit of moisture content in paddy grain may be allowed upto 19% against the existing limit of 17% with full value cut upto 31.01.2018 as 'One time exception' subject to the following conditions:

i. The State Government should endeavor to develop driage facilities at procuring stage;
ii. The responsibility for quantity loss and spoilage loss will be beared by the State and no compensation would be admissible from the Central Govt.;
iii. No relaxation in Out Turn Ratio may be allowed;
iv. State Government shall maintain separate account for paddy procured under relaxed specifications;
v. State Government may also ensure that relaxed paddy so procured is immediately milled to avoid any deterioration. The resultant rice should conform to Uniform Specifications;
vi. No stocks shall be handed over to FCI under any exchange arrangements;
vii. Any financial or operational implications as a result of this relaxation will be the responsibility of the State Government.

3. The above relaxation will be in operation with immediate effect and will remain applicable upto 31.01.2018.

Yours faithfully,

14/12/2017

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner(S&R)
Tel:23389625

(-Contd. p/2..)

Scanned by CamScanner